कार्यालय ग्राम पंचायत ......मदार......, पंचायत समिति बडगॉव,

जिला–उदयपुर (राज.)

क्रमांकः– ग्रा-प-म/26-27/14

दिनांकः– 18/5/26

–: ई निविदा सूचना संख्या : 01/2025–27 :–

ग्राम पंचायत ......मदार...... में विभिन्न निर्माण कार्यो हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, जन स्वास्थय अभियांत्रिकी विभाग एवं राज्य सरकार के अधिकृत संगठनों में पंजीकृत सक्षम श्रेणी के संवेदको से ई निविदा द्वारा निविदांए आमंत्रित की जाती है। निविदादाता को नीचे दिये गये विवरण के अनुसार निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि (निविदा की अनुमानित लागत का 02 प्रतिशत) के डिमाण्ड ड्राफट/बैंकर चैक संबंधित ग्राम पंचायत के नाम से व प्रोसेसिंग फीस का डीडी/बैंकर चैक MD RISL Jaipur के नाम, व अन्य प्रपत्र के साथ निर्धारित दिनांक व समय तक ग्राम पंचायत कार्यालय में जमा करवाना होगा। धरोहर राशि, निविदा शुल्क, प्रोसेसिंग फीस, व अन्य वांछित दस्तावेज प्राप्त नही होने पर उस निविदादता की ऑनलाईन निविदांऐ खोली नही जाएगी। निविदा से संबंधित विस्तृत शर्ते संलग्न की जा रही है। ऑनलाईन निविदांए निर्धारित दिनांक एवं समय पर क्रय कमेटी द्वारा ग्राम पंचायत मुख्यालय/निर्देशित स्थान पर खोली जायेगी। समस्त विवादो का न्याय क्षैत्र बडगॉव जिला उदयपुर होगा।

क्र.सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत राशि (लाखों में)	धरोहर राशि (ग्राम पंचायत के नाम)	निविदा शुल्क	प्रोसेसिंग फीस (MD RISL Jaipur के नाम)	निविदा आवेदन डाउनलोड/अपलोड करने की दिनांक	कार्यालय में निविदा शुल्क, धरोहर राशि व प्रोसेसिंग फीस जमा कराने की दिनांक व समय	निविदा खोलने की दिनांक व समय
1	पूरे राजस्व गाँव मदार की नालियों का सुदृढ़ीकरण एवं पानी	14.77	रू. 29540/-	रू. 1000	रू. 500	दिनांक 27/5/26 सांय 6:00 बजे तक।	दिनांक 29/5/26 दोपहर 12:00 बजे तक।	दिनांक 29/5/26 दोपहर 2:00 बजे।
	निकासी सी.सी. रोड आदि कार्य ग्रा.प. मदार		रू.	रू.	रू.			
2.	बालिका विद्यालय खेल	16.75	रू. 33500/-	रू. 1000	रू. 500			
4.	मैदान की अधूरी बाउन्ड्रीवाल एवं समतलीकरण ग्रा.प. मदार		रू.	रू. ~~1000~~	रू. ~~1000~~			

शर्तेः–

1. निविदा सूचना व शर्ते एवं पूर्ण विवरण जानकारी **sppp.rajasthan.gov.in** व **eproc.rajathan.gov.in** पर देखी जा सकती है।
2. निविदा ग्राम पंचायत के लिए ई प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल eproc.rajathan.gov.in पर ही प्रस्तुत की जावेगी। किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार क्रय समिति एवं सक्षम प्राधिकारी का होगा।
3. शेश शर्ते निविदा प्रपत्र में अंकित अनुसार होगी।

लक्ष्मी
(लक्ष्मीबाई गमेती)
प्रशासक
प्रशासक
ग्राम पंचायत मदार
ग्राम पंचायत ....
पं.स. बड़गांव जिला-उदयपुर

Jyoti
ज्योति यादव
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम विकास अधिकारी,
ग्राम पंचायत
पं.स. बड़गाँव जि. उदयपुर (राज.)
ग्राम पंचायत ....

ककार्यालय ग्राम पंचायत ...., पंचायत समिति बडगॉव,

जिला–उदयपुर (राज.)

पार्ट – I

तकनिकी बिड

1. ग्राम पंचायत – ....
2. कार्य का नाम – ....
3. अनुमानित लागत – .... लाख रूपये
4. संवेदक का नाम, पता एवं मोबाईल नंबर–...
....
5. संवेदक के कार्य हेतु सक्षम श्रेणी में पंजीयन का विवरण (प्रमाण पत्र संलग्न करें) –..
....
6. अमानत राशि/निविदा शुल्क/ प्रोसेसिंग फीस का विवरण :–

विवरण	राशि	डी0डी0 नम्बर /बैंकर्स चैक नम्बर	दिंनाक	बैंक एवं ब्रान्च
अमानत राशि				
निविदा शुल्क				
प्रोसेसिंग फीस				

7. जीएसटी पंजीयन क्रमांक (प्रमाण पत्र संलग्न करें) ''''''''''''''''''''''''''
8. पैन कार्ड (प्रमाण पत्र संलग्न करें) ''''''''''''''''''''''''''
9. नवीनतम जीएसटीआर 3 बी की प्रमाणित प्रति।
10. ब्लैकलिस्टेड नही होने का घोषणा पत्र एं लोकसेवक नही होने का घोषणा पत्र।
11. केवल तकनिकी बिड में सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जाएगी।
12. **आधारभूत दर अनुसूची से 10 प्रतिशत से कम दर भरने वाले निविदादाता को उक्त दर से न्यूनता के बराबर अतिरिक्त धरोहर राशि निविदा खोलने की तिथि को ही कार्यालय समय में जमा करानी आवश्यक होगी। अन्यथा निविदा निरस्त कर पूर्व की जमा अमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।**

नोट : क्रम संख्या 05, 06, 07, 08, 09, 10 का निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य है अन्यथा निविदा स्वीकार नही की जायेगी।

निविदा से सम्बन्धित समस्त शर्ते राजस्थान पंचायती राज नियम 1996, सा0वि0 एवं लेखा नियम, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों में वर्णित है जिनका अध्ययन कर लिया गया है एवं हमें पूर्ण स्वीकार है। जिस पर स्वीकृति के हस्ताक्षर निविदा के साथ संलग्न है।

हस्ताक्षर निविदादाता
मय मोहर

कार्यालय ग्राम पंचायत ...., पंचायत समिति बडगॉव,

जिला–उदयपुर (राज.)

निविदा शर्ते

1- अनुमानित लागत की 2 प्रतिशत अमानत राशि के रूप में डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक सरपंच ग्राम पंचायत के नाम जमा कराना आवष्यक होगा।

2- संवेदक के बिल से सभी प्रकार के देय कर वसूली योग्य होगें यथा आयकर, रॉयल्टी, सेलटेक्स इत्यादि। 10 प्रतिशत की दर से प्रतिभूति राशि जमा की जायेगी। कार्य संतोषप्रद एवं समय पर पूर्ण होने पर 24 माह बाद प्रतिभूति राशि लोटाई जा सकेगी।

3- अमानत राशि के बिना निविदा मान्य नहीं होगीं।

4- न्यूनतम दर वाली फर्म को नियमानुसार नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध करना होगा।

5- जी शिड्युल अनुमानित मात्रा है। इस मात्रा में कमी या अधिक हो सकती है।

6- निविदा सूचना एवं निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न निविदा शर्तो की पालना नहीं करने पर पूर्व में जमा धरोहर राशि एवं प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेंगी।

7- निविदा स्वीकृत करने के सात दिवस के अन्दर अनिवार्य रूप से अनुबंद सम्पादित करवाना होगा उसके पश्चात् ही कार्य आदेश जारी किया जायेगा।

8- किसी भी प्रकार के विवाद में **मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद उदयपुर** का निर्णय अंतिम एवं दोनो पक्षो हेतु मान्य होगा।

9. समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र बडगांव होगा।

10- निविदाएँ, उनके खोले जाने की दिनांक से 90 दिन तक की अवधि के लिऐ विधी मान्य होगी।

11- फर्म अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य ऐजेन्सी के लिए नहीं सौपेगा या उप–भाड़े (सब लैट) पर नहीं देगा।

12- धरोहर राशि/प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जावेगा।

13- प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलो में समपहृत (जब्त) किया जावेगाः–

(अ) जब संविदा की शर्तो का उल्लंघन किया गया हो।

(ब) जब निविदादाता सम्पूर्ण कार्य सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

(ग) प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जावेंगा। इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

14- करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जावेगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपड़त (Counter foil) निःशुल्क प्रस्तुत की जावेगी।

15- कार्य का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से ही किया जायेगा।

16- प्रोसेसिंग फीस का डीडी/ बैंकर्स चेक डव तैप्ऱ श्रंपचनत के नाम निर्धारित समय में ग्राम पंचायत कार्यालय में जमा करावे।

17- अमानत राशि / अतिरिक्त धरोहर राशि डीडी/ बैंकर्स चेक के रूप में ही स्वीकार की जाएगी।

18- अमानत राशि/निविदा शुल्क/प्रोसेसिंग फीस की डीडी /बैंकर्स चेक/रसीद की छायाप्रति ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर अपलोड करनी होगी अन्यथा निविदा स्वीकार नही की जाएगी।

19- सक्षम श्रेणी के संवेदकों की ही निविदा स्वीकार की जाएगी।

20- निविदा को स्वीकृत करने एवं बिना कारण बताये किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदा को निरस्त करने के अधिकार राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 186 के उपनियम 2 में गठित क्रय समितियों के पास सुरक्षित है।

21- कार्य न करने अथवा अधुरा छोड़ने पर धरोहर राशी जब्त कर ब्लैकलिस्ट करने की कार्यवाही आरंभ कर दी जाएगी।

22- रनिंग बिल में से नियमनुसार कर कटौति कर शेष राशि का भुगतान संवेदक को किया जायेगा।

23- प्रथम अपील अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् उदयपुर तथा प्रथम अपील अधिकारी – मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् उदयपुर, द्वितीय अपील अधिकारी प्रमुख शासन सचिव पंचायती राज विभाग राजस्थान।

24- कार्यावधि में मानसून अवधि भी शामिल है ।

25- अन्य समस्त शर्तें सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों, राजस्थान राज्य सार्वजनिक उपापन नियम 2013 एवं राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1996 के क्रय नियम एवं समय– समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अध्यधीन होगी।

26- राजकीय नियमो तथा निविदा शर्तों में विरोधाभास पाए जाने पर राजकीय नियम ही मान्य होंगे

27- टाईपोग्राफीकल त्रुटि अथवा अन्य प्रकार की त्रुटियां होने पर शर्ते नियमानुसार ही मानी जायेगी।

28-

29- **धरोहर राशि की वापसी** – किसी भी कार्य की धरोहर राशि कार्य की डिफेक्ट लाईबिलिटी 2 (दो) वर्ष के समयावधि गुजरने एवं कार्य के तद्नुसार सही स्थिति में होने के सत्यापन किए जाने के पश्चात् ठेकेदार सम्बन्धित को लौटाई जावेगी।

ई. टेंडरिंग के लिए निविदादाता हेतु निर्देश –

(अ) इन निविदाओं इच्छुक निविदादाता निविदा प्रपत्रों का इन्टरनेट साईट http.\\eproc.rajsthan.gov.inसे डाउनलोड कर सकते है।

(ब) निविदाओं में भाग लेने वाले निविदादाताओं को इन्टरनेट साईट http.\\eproc.rajsthan.gov.inपर रजिस्टर्ड करवाना होगा। आनलाईन निविदा में भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट इन्फोरमेंसन टैक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलेक्ट्रानिक निविदा में हस्ताक्षर करने हेतु काम आयेगा। निविदादात उपरोक्त डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सीसीए द्वारा स्वीकृत एजेंसी से प्राप्त कर सकते है। जिन निविदादाताओं के पास पूर्व में वैध डिजिटल सिग्नेचर है, उनको पुनः लेने की आवश्यकता नहीं है।

(स) निविदाताओं को निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रानिक फोर्मेट उपरोक्त वेबसाईट पर डिजिटल हस्ताक्षर के साथ प्रस्तुत करना होगा जिनके प्रस्ताव डिजिटल हस्ताक्षर के साथ नहीं होंगे उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगे। कोई भी प्रस्ताव भौतिक फार्म में स्वीकार्य नहीं होगा।

(द) इलेक्ट्रानिक निविदा प्रपत्रों को जमा करने से पूर्व निविदादाता यह सूनिश्चित कर लेवे की निविदा प्रपत्रों संबंधित आवश्यक दस्तावेजों की स्केन कॉपी निविदा प्रपत्रों के साथ अटैच कर दी गई है।

(य) कोई भी टेण्डर इलेक्ट्रॉनिकली जमा कराने में किसी कारण से लेट हो जाता तो उसका जिम्मेदार कार्यालय/विभाग नहीं होगा।

(र) टेण्डर के प्रपत्रों में आवश्यक सभी सूचियों को सम्पूर्ण रूप से भरकर ऑनलाईन दर्ज करे।

30- कार्य में विलम्ब पर निम्नानुसार शास्ति आरोपित की जाएगी –

पंचायती राज संस्थाओं द्वारा ठेके पर (on contract base) संपादित कराये जाने वाले निर्माण कार्यों में विलम्ब के लिये शास्ति आरोपित करने का प्रावधान :—

पूर्ण निश्चित अवधि में समयावधि	1/4 अवधि	1/2 अवधि	3/4 अवधि	पूर्ण अवधि
न्यूनतम कार्य सम्पादन (लागत अनुसार)	1/8 लागत	1/3 लागत	3/4 लागत	पूर्ण लागत
विलम्ब के लिये देय शास्ति की दर	विहित समय अवधि की 1/4 अवधि तक का विलम्ब अनिष्पादित रहे कार्य का (लागत का) 2.5 प्रतिशत	विहित समय अवधि की 1/4 अवधि से अधिक किन्तु 1/2 अवधि तक का विलम्ब अनिष्पादित रहे कार्य का (लागत का) 5 प्रतिशत	विहित समय अवधि की 1/2 अवधि से अधिक किन्तु 3/4 अवधि तक का विलम्ब अनिष्पादित रहे कार्य का (लागत का) 7.5 प्रतिशत	विहित समय अवधि की 3/4 अवधि से अधिक विलम्ब निष्पादित रहे कार्य का (लागत का) 10 प्रतिशत

31- यदि संवेदक का नजदीकी रिश्तेदार (प्रथम रक्त संबंधी व उसके पति/पत्नी) कार्य से संबंधित ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों में लेखाकार, कनिष्ठ अभियन्ता से लेकर अधीक्षण अभियंता स्तर अथवा किसी भी स्तर पर पदस्थापित हो तो उसके कार्य करने पर प्रतिबन्ध रहेगा।

32- राजकीय नियमों में लोकसेवक घोषित व्यक्ति के कार्य करने पर भी प्रतिबन्ध रहेगा**A**

33- राज्य सरकार में किसी भी अभियांत्रिकी विभाग में किसी भी इंजीनियर अथवा इंजीनियरिंग या प्रशासनिक कार्य पर नियुक्त राजपत्रित अधिकारी राज्य सरकार की अनुमति के बिना सेवा निवृति के 2 वर्ष तक संवेदक अथवा उसके कर्मचारी के रूप में कार्य नहीं कर सकेगें। यदि संवेदक अथवा उसके कर्मचारियों में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य सरकार की उक्त लिखित अनुमति निविदा जमा कराने से पहले अथवा संवेदक के यहाँ सेवाऐं लेने से पहले अनुमति नहीं ली है तो अनुबन्ध रद्द किया जा सकेगा।

वित्त एवं लेखा मार्गदर्शिका 2011 के बिन्दु संख्या—15.28.6 में यह स्पष्ट उल्लेखित है कि "निविदा प्रक्रिया के निर्णय से संबद्ध कार्मिकों/अधिकारियों तथा क्रयादेश देने वाले अधिकारियों/कार्मिको/लोकसेवकों/संविदाकर्मियों के परिजन, निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे।"

34- चालू बिल की सकल रकम के 10 प्रतिशत की दर पर प्रतिभूति निक्षेप प्रत्येक चालू बिल में से काटा जायेगा और निबंधनों और शर्तो के अनुसार संविदा पूर्ण होने पर नियमानुसार प्रतिदत्त किया जायेगा। तथापि, निक्षिप्त अग्रिम धनराशि ठेकेदार के प्रथम चालू बिल में से प्रतिभूति निक्षेप की कटौती करते समय समायोजित की जायेगी। प्रतिभूति निक्षेप की कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी।

मैंने निविदा सूचना एवं उपरोक्त निविदा प्रपत्र में वर्णित 1 से 34 तक की समस्त शर्तो तथा सम्बंधित नियम **को अच्छी तरह पढ़ लिया है, जिसे मानने हेतु फर्म/निविदिदाता सहमत हैं।**

हस्ताक्षर
निविदा दाता का नाम
(..)
पता...
सील
मोबाईल नं..

G-SCHEDULE

कार्य का नाम पूरे राजस्व गाँव मदार की नालियों का सुदृढीकरण एवं पानी निकासी सीसी रोड आदि कार्य

ग्राम ग्राम पंचायत मदार

Length Width

S.no.	Particulars		Qty.	Total rate	Total amount
	Cement concrete drains				
1	मिट्टी का कार्य कटाई में, 1.5 मीटर उठान कर 50 मीटर निष्पादन तथा डाग वेल लगाना, होदा में केम्बर, गेड लगाना तथा निष्पादित मिट्टी को समतल तथा दरेसी करना।				
		8687.25	245.96	158.32	38940.13
	item no 127c	Cft	Cum		
2	सड़क की नीव के लिये सीमेंट कंक्रीट 1:4:8 में बिछाना तथा निडल तथा सरफेस कम्पन्न मशीन को चलाना तथा 40 मिमी क्रेशर से टूटी हुई गिट्टी को मिलाते हुए, चाहे गये गेड, केम्बर तथा सुपर एलीवेशन में तैयार करना।				
		1237.50	35.04	4043.42	141668.52
	item no 141a	Cft	Cum		
3	सीमेंट कंक्रीट सड़क की ऊपर की सतह पर 1:2:4 अनुपात कंट्रोल्ड कंक्रीट एम-20 की 20mm साइज की ग्रिट क्रशर से टूटी हुई में मिलाना ,डालना तथा निडिल तथा सतही कम्पन मशीन (वाईब्रेटर) चलाना तथा न खिसकने वाली सतह के लिये , चाहे गए गेड,केम्बर तथा सुपर एलिवेशन में तैयार करना				
		4937.63	139.80	5146.60	719478.51
	item no 142a	Cft	Cum		
4	कल्वर्ट/पुलिया निर्माण हेतु आरसीसी.(रेन्फोसमेंट सीमेंट कंक्रीट)NP3 ह्युम पाइप एक पंक्ति में आवश्यक ढलान देते हुए सीमेंट मसाला 1:2 में बिछाने/लगाने का कार्य मय कोलर सहित |(मिट्टी खुदाई,कंक्रीट व चिनाई कार्य के अलावा)				
		15.00	15.00	1397.79	20966.85
	item no 147f	Meter	Meter		
5	पत्थर की रफ तरासी दहल, दासा तथा कोपिंग को सीमेंट मसाला 1:4 में लगाना तथा आपूर्ति करना। (75 से 100 मिमी मोटाई)				
		400.00	37.17	1748.70	65007.43
	item no 37b	Sqft	Sqm		
	Cement concrete roads				
6	सड़क की नीव के लिये सीमेंट कंक्रीट 1:3:6 में बिछाना तथा निडल तथा सरफेस कम्पन्न मशीन को चलाना तथा 40 मिमी क्रेशर से टूटी हुई गिट्टी को मिलाते हुए, चाहे गये गेड, केम्बर तथा सुपर एलीवेशन में तैयार करना।				
		825.00	23.36	4291.98	100251.51
7	सीमेंट कंक्रीट सड़क की ऊपर की सतह पर 1:1.5:3 अनुपात कंट्रोल्ड कंक्रीट एम-20 की 20mm साइज की ग्रिट क्रशर से टूटी हुई में मिलाना ,डालना तथा निडिल तथा सतही कम्पन मशीन (वाईब्रेटर) चलाना तथा न खिसकने वाली सतह के लिये , चाहे गए गेड,केम्बर तथा सुपर एलिवेशन में तैयार करना				
		2313.30	65.50	5656.30	370462.03
	Total				1456774.99
8	3% contingency charges				43703.25
9	Grand total				1500478.24
	Say Rupees :				1500478

कनिष्ठ तकनीकी सहायक
पंचायत समिति बड़गांव

Signature Not Verified

Digitally signed by Shailendra Pawan Khichi
Date: 2026.05.18 20:56:58 IST
Location: Rajasthan-RJ

Scanned with CamScanner